75

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 3012-तीन/2007 - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-11-2006- पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 70/2003-04 अपील

लालताप्रसाद पुत्र छोटकउ भुर्तिया

ग्राम बसहट तहसील त्योंथर

जिला रीवा मध्य प्रदेश -----आवेदक

विरूद्ध

महिला श्यामकली उर्फ जिगरी पत्नि रामकैलाश

पुत्री बबईराम ग्राम बसहट तहसील थ्योंथर

जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 08-03-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 70/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-11-06 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महिला सुभौया के नाम धारित भूमि पर पॅजीकृत बसीयत के आधार पर अनावेदक का नामान्तरण किया गया। पॅजीकृत बसीयत के आधार पर अनावेदक के हित में हुये नामान्तरण आदेश के विरूद्ध

अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष आवेदक ने अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण क्रमांक 167/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-9-2003 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 70/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-11-06 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि मृतका सुभौआ के पति और आवेदक के पिता सगे भाई थे। आवेदक नावालिक था उस समय आवेदक के पिता की मृत्यु हुई है तब परिवार की संरक्षक एंव कर्ताधर्ता मृतका सुभौआ थी और आवेदक के पिता के हिस्से की भूमि भी सुभौआ के नाम हो गई। सन 1982 में आवेदक ने हिस्से की भूमि पाने के लिये दीवानी दावा क्रमांक 39 ए 82 दायर किया था जिसमें सुभौआ के कहने पर एंव चार बड़े लोगेां की समझाइस पर सात रूपये के स्टाम्प पर 11-12-89 को पारिवारिक व्यवस्था पत्र तैयार किया गया एंव राजीनामा हुआ एंव राजीनामे के आधार पर व्यवहार न्यायालय से वाद वापिस किया गया है। राजीनामा अनुसार कुल रकबा 12.13 एकड़ आवेदक को दिया गया जिस पर आवेदक आज भी काविज होकर खेती करते आ रहा है लेकिन सुभौआ की मृत्यु के वाद 2002 में बसीयत के आधार पर आवेदक की सहमति के बिना अनावेदक ने समस्त भूमि पर गलत नामांत्रण कराया है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग ने इन तथ्यों पर ध्यान न देते हुये अपील निरस्त करने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 70/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-11-06 के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि वाद विचारित भूमियॉ महिला सुभौआ के नाम भूमिस्वामी स्वत्व

पर थी, जिन्होंने अपने जीवनकाल में पॅजीकृत बसीयतनामा दिनॉक 10-12-1982 अनावेदक के हित में संपादित कराया है और तहसील न्यायालय व्दारा पॅजीकृत बसीयतनामा दिनॉक 10-12-1982 के आधार पर अनावेदक का नामान्तरण किया है क्योंकि पॅजीकृत दस्तावेज को शून्य घोषित करने की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है । वाद विचारित भूमि में आवेदक स्वयं् का स्वत्व होना बता रहा है तब स्वत्व के निराकरण के लिये भी राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 70/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-11-06 में निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारीहन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 70/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-11-06 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर